



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 950  
Km. 30  
Depth 700  
CPB 220

सं. 186]  
No. 186]

नई दिल्ली, बुधस्मितीवार, अप्रैल 15, 2004/चैत्र 26, 1926  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2004/CHAITRA 26, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 261(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव विविधता नियम, 2004 है ।
- (2) ये 15 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) “अधिनियम” से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) अभिप्रेत है ;
- (ख) “प्राधिकरण” से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (ग) “जैव विविधता प्रबंध समिति” से स्थानीय निकाय द्वारा धारा 4 की उपधारा(1) के अधीन स्थापित कोई जैव विविधता प्रबंध समिति अभिप्रेत है ;
- (घ) “अध्यक्ष” से यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ङ) “फीस” से अनुसूची में नियत कोई फीस अभिप्रेत है ;
- (च) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (छ) “सदस्य” से यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ; और जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;
- (ज) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- (झ) “सचिव” से प्राधिकरण का पूर्णकालिक सचिव अभिप्रेत है ;
- (ञ) ऐसे शब्दों और पदों के जिनका प्रयोग किया गया है, किंतु वे इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं ।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति

- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की प्रत्येक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार से बाहर से प्रतिनियुक्ति के आधार पर या चयन द्वारा की जाएगी । प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की दशा में, आवेदक भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए ।

## 4. अध्यक्ष की पदावधि

- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (2) परन्तु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्ति करने पर या उसकी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् जो भी पूर्वतर हो, पद धारण नहीं करेगा।
- (3) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को कम से कम एक मास की सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

## 5. अध्यक्ष का वेतन और भत्ते :-

- (1) अध्यक्ष 26,000 रु. प्रतिमाह के नियत वेतन का हकदार होगा। किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में, उसका वेतन उस व्यक्ति को लागू केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा।
- (2) अध्यक्ष ऐसे भत्तों, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, आवास और अन्य परिलब्धियों आदि का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय द्वारा विनिश्चित की जाएं।

## 6. गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते

- (1) प्राधिकरण का प्रत्येक गैर सरकार सदस्य राजपत्र में उसकी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से एक समय में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा।
- (2) प्राधिकरण की बैठक में उपस्थिति होने वाले प्रत्येक गैर सरकार सदस्य ऐसे बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के आयोगों और समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को ऐसे आयोगों या समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए लागू है।

## 7. गैर सरकारी सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना

- (1) प्राधिकरण का कोई गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय लिखित में अपने हस्ताक्षर से केन्द्रीय सरकार को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और प्राधिकरण में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।
- (2) प्राधिकरण में किसी गैर सरकार सदस्य की आकस्मिक रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति इस पद को उस सदस्य की जिसके स्थान पर उसे नाम निर्देशित किया गया है, की शेष पदावधि तक की धारण करेगा।

## 8. प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना

प्राधिकरण के किसी सदस्य को, धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव से नीचे की रैंक का न हो, सम्यक् और उचित जांच कराए बिना और ऐसे सदस्य को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर दिए बिना उसके पद से हटाया नहीं जाएगा।

## 9. प्राधिकरण का सचिव

- (1) प्राधिकरण अपने लिए एक सचिव की नियुक्ति करेगा।
- (2) सचिव की नियुक्ति के नियंत्रण और शर्तें प्राधिकरण द्वारा विभिन्न रूप अवधारित की जाएगी।
- (3) सचिव प्राधिकरण के अधिवेशनों का सम्मन्धान और अधिवेशन बुलाने और प्राधिकरण के कर्मचारियों का अभिलेख रखने और ऐसे अन्य विषयों जो उसे प्राधिकरण द्वारा सौंपे जाएं, के लिए उत्तरदायी होगा।

## 10. प्राधिकरण के अधिवेशन

- (1) प्राधिकरण के अधिवेशन तीन मास की अवधि के परवात् एक वर्ष में कम से कम चार बार प्राधिकरण के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, आयोजित किए जाएंगे।
- (2) अध्यक्ष, प्राधिकरण के कम से कम पांच सदस्यों से लिखित अनुरोध पर या केन्द्रीय सरकार के निवेदन पर प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकेगा।
- (3) सदस्यों को कोई सामान्य अधिवेशन आयोजित करने के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना दी जाएगी और विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए उद्देश्य, समय व स्थान जिस पर ऐसा अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, विनिश्चित करते समय कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी।
- (4) प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए किसी पीछपूनी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (5) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विनिरम्य, यदि आवश्यक हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाएगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- (7) प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन में गजपूरी पांच होगी।
- (8) कोई सदस्य किसी अधिवेशन में ऐसे किसी विषय पर जिसमें उसे दस दिन की सूचना नहीं दी गई है, अधिवेशन पर विचार करने के लिए अग्रसरित नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अध्यक्ष स्वयिचैक से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न करे।
- (9) अधिवेशन की सूचना सदस्यों से संवाहक द्वारा परित्त करके या इसे उसके अंतिम निवास या कारबार के ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसी अन्य रीति में जिसे मामले की परिस्थितियों में प्राधिकरण का सचिव ठीक समझे, दी जा सकेगी।

## 11. प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और उनकी इच्छाशी :-

- (1) प्राधिकरण ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें वह ठीक समझे, उतनी संख्या में समितियां गठित कर सकेगा जो पूर्णतः सदस्यों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों या अंशतः सदस्यों या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।

(2) प्राधिकरण के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों द्वारा अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसी फीस और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो प्राधिकरण ठीक समझे ।

## 12. प्राधिकरण के साधारण कृत्य :-

प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) धारा 3, धारा 4 और धारा 6 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना ;

(ii) केन्द्रीय सरकार के जैव विविधता के संरक्षण और उसके संघटकों को पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित विषयों के संबंध में सलाह देना ;

(iii) राज्य जैव विविधता बोर्डों के क्रियाकलापों को समन्वित करना ;

(iv) राज्य जैव विविधता बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ;

(v) अध्ययन आरंभ करना और अन्वेषण तथा अनुसंधान प्रायोजित करना ;

(vi) प्राधिकरण को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परामर्श दाताओं को लगाना ;

परन्तु यह कि यदि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी परामर्शदाता को लगाना आवश्यक और समीचीन है तो प्राधिकरण ऐसे लगाए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन मांगेगा ।

(vii) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान और उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े और मैनुअल, संहिताएं या गाइडें संगृहीत, संकलित और प्रकाशित करना ।

(viii) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान और उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित जन प्रचार द्वारा एक वृहत् कार्यक्रम आयोजित करना ;

(ix) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे या लगाए गए या लगाए जाने वाले कर्मियों के लिए योजना और प्रशिक्षण आयोजित करना ;

(x) प्राधिकरण को उसकी रसीदों और केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी समाविष्ट करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा ।

(xi) प्राधिकरण के कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पदों के सृजन करने की सिफारिश करना परन्तु कि ऐसा पद चाहे स्थायी/अस्थायी हो या किसी भी प्रकृति का हो, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा ।

- (xii) प्राधिकारियों के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती की पद्धति का अनुमोदन करना ;
- (xiii) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन और पोषणीय उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस के माध्यम से जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के लिए डाटा बेस बनाने और जानकारी तथा दस्तावेज पद्धति सृजित करने के लिए कदम उठाना ;
- (xiv) राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंध समितियों को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लिखित में निदेश देना ;
- (xv) प्राधिकरण के कार्यकरण और अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना ;
- (xvi) समय-समय पर जैवीय संसाधनों की बाबत धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन फीस या धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन स्वामिस्वों के प्रभारों के फायदे के प्रभाजन की सिफारिश, उपांतरित और संगृहीत करना ;
- (xvii) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंध समितियों के लिए अनुदान सहायता और अनुदान मंजूर करना ;
- (xix) भारत से बाहर किसी देश में किसी जैवीय संस्थान और किसी अवैध रूति में भारत से अभिप्राप्त ज्ञान के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार अनुदत्त किए जाने का विरोध करने के लिए विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करना ;
- (xx) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाए या निदेशित किए जाए ।

### 13. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

- (1) अध्यक्ष का प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों पर संपूर्ण नियंत्रण होगा ।
- (2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारिवृंद के ऊपर साधारण अधीक्षण की शक्तियां होंगी और वह प्राधिकरण के कार्यों के संचालन और प्रबंध के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा ।
- (3) अध्यक्ष प्राधिकरण के सभी गोपनीय कागजों और अभिलेखों का भारसाधक होगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (4) प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश अध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन होंगे ।
- (5) अध्यक्ष, या तो स्वयं इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के माध्यम से अनुमोदित बजट के सभी संदायों को मंजूरी और संवितरित कर सकेगा ।
- (6) अध्यक्ष को सभी प्राधिकरणों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी अनुदत्त के लिए पूर्ण शक्तियां होंगी ।

(7) अध्यक्ष, प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों को बुलाएगा और उनको अधिसूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी विनिश्चय समुचित रीति में कार्यान्वित किए गए हैं।

(9) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाए।

14. **जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के प्रति पहुंच के लिए प्रक्रिया**

(1) अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच रखने के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन चाहने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप 1 में कोई आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में बैंक या मांगपत्र के रूप में 10,000रु. की फीस होगी।

(3) प्राधिकरण आवेदक के संबद्ध स्थानीय निकाय से परामर्श करने और ऐसी कोई जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाए, आवेदन का यथाशक्य शीघ्र उसकी प्राप्ति से छः मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(4) प्राधिकरण आवेदन के गुणागुण का समाधान करने के पश्चात् जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच का अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिसूचित करने के लिए ठीक समझे, अनुदत्त कर सकेगा।

(5) पहुंच के संबंध में अनुमोदन प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार के प्ररूप में होगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट करार का प्ररूप प्राधिकरण द्वारा अधिकथित किया जाएगा और उसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा, अर्थात् :-

(i) साधारण उद्देश्य और अनुमोदन चाहने के लिए आवेदन का प्रयोजन ;

(ii) जैवीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का वर्णन जिसके अंतर्गत संलग्न जानकारी भी है ;

(iii) जैवीय संसाधन (अनुसंधान, प्रजनन, वाणिज्यिक उपयोग आदि) के आशयित उपयोग ;

(iv) वे शर्तें जिनके अधीन आवेदक बौद्धिक संपदा अधिकार चाहता है ;

(v) मौद्रिक और अन्य आनुषंगिक फायदों और अन्य आनुषंगिक फायदों की मात्रा यदि आवश्यक हो, विशिष्टतया यदि जैवीय सामग्री अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ली गई हैं और बाद में उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है और उसके पश्चात्पर्वी उपयोग के संबंध में किसी अन्य परिवर्तन की दशा में भी प्रतिबद्धता के लिए कोई नया करार करना ;

(vi) किसी तृतीय पक्षकार को पहुंच प्राप्त जैव प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को अंतिरत करने से निर्बन्धित करना ;

(vii) जैवीय संसाधनों की मात्रा और क्वालिटी के विनिर्देश के संबंध में जिसके लिए आवेदक पहुंच चाहता है, प्राधिकरण द्वारा नियत की गई सीमा का अनुपालन करना ;

(viii) धारा 39 में पहचान किए गए निक्षेपों के साथ पहुंच चाहने के लिए जैवीय सामग्री के किसी निर्देश नमूने का निक्षेप करने के लिए प्रत्याभूति ;

(ix) प्राधिकरण को अनुसंधान और अन्य विकासों की नियमित प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(x) अधिनियम के उपबंधों और अन्य विकासों की नियम तथा देश में प्रवृत्त अन्य संबंधित विधानों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्धता ;

(xi) पहुंच प्राप्त जैवीय संसाधनों के संरक्षण और पोषणीय उपयोग के लिए उपायों को सुकर बनाने के लिए प्रतिबद्धता ;

(xii) संग्रहण करने के लिए क्रियाकलापों कते पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्धता ;

(xiii) करार की अवधि, करार के परिसमापन की सूचना, व्यक्तिगत खंडों की स्वतंत्र प्रवर्तनीयता, उस सीमा तक उपबंध का फायदा, प्रभाजन खंडों में बाध्यता से करार का परिसमापन, घटना, सीमांकन, दायित्व (प्राकृतिक आपदाएं), माध्यस्थता, कोई गोपनीयता खंड बना रहता है जैसे विधिक उपबंध ।

(7) पहुंच के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट रूप से उन जैवीय संसाधनों जिनके लिए पहुंच अनुदत्त की जा रही है, के परिष्कारण और संरक्षण के लिए उपायों का विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध कर सकेगी ।

(8) प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता ।

(9) कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर न दिया गया हो ।

(10) प्राधिकरण अनुदत्त अनुमोदनों को मुद्रण या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए कदम उठाएगा और आवधिक रूप से उन शर्तों का, जिन पर अनुमोदन मंजूर किया गया था, अनुपालन मानीटर करेंगे ।

#### 15. पहुंच या अनुमोदन का प्रतिसंहरण,-

(1) प्राधिकरण किसी शक्तियों के आधार पर या स्वप्रेरणा से नियम 15 के अधीन पहुंच के लिए अनुदत्त अनुमोदन को वापस ले सकेगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिखित आधार के प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर कि उस व्यक्ति ने जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया था अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या शर्तें जिस पर अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लंघन किया है ;

(ii) वह व्यक्ति जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा है ;

(iii) अनुदत्त पहुंचों की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहने पर ;

(iv) लोक हित या पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता परिरक्षण का अतिसंघन करने पर ;

(2) प्राधिकरण पहुंच को प्रतिषिद्ध करने और नुकसान का निर्धारण करने के लिए भी, यदि कोई हो और नुकसान को पूरा करने के लिए लिए गए कदमों के संबंध में उसके द्वारा प्रतिसंहरण के प्रत्येक आदेश की एक प्रति और संबद्ध राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंध समितियों को भेजेगा ।

16. जैव संसाधनों के प्रति पहुंच से संबंधित क्रियाकलापों पर निर्बन्धन.-

(1) प्राधिकरण, यदि आवश्यक और समुचित समझे तो जैव संसाधनों के प्रति पहुंच के अनुरोध का निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारणों से कदम उठाएगा, अर्थात् :-

- (i) पहुंच के लिए अनुरोध किसी संकटापन्न टैक्सा भी है ;
- (ii) पहुंच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक और विरल जातियों के संबंध में ;
- (iii) पहुंच के लिए अनुरोध से स्थानीय व्यक्तियों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;
- (iv) पहुंच के लिए अनुरोध से प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव पड़ने का परिणाम हो सकेगा जिससे नियंत्रण और उसका उपशमन किया जाना कठिन हो सकेगा ;
- (v) पहुंच के लिए अनुरोध से आनुवंशिक क्षरण हो सकेगा या प्रास्थितिक कृत्य प्रभावित हो सकेंगे ;
- (vi) प्रयोजनों के लिए स्रोतों का उपयोग राष्ट्रीय हित के और भारत द्वारा किए गए अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय करारों के प्रतिकूल है ।

17. संसाधन के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन चाहने के लिए प्रक्रिया.-

(1) भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधनों से संबंधित संसाधन के परिणामों को कोई व्यक्ति किसी विदेशी राष्ट्रिक कंपनी और अनिवासी भारतीय को मौद्रिक प्रतिफल करने के लिए अंतरण करने का इच्छुक है तो वह प्राधिकरण को प्ररूप 2 में आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक के रूप में पांच हजार रूपए की फीस लगी होगी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय उसके प्राप्त होने की तारीख से यथाशक्य शीघ्र तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(4) यदि समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है, प्राधिकरण अनुसंधान के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन है जिन्हें वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझता है, अनुदत्त कर सकेगा ।

(5) अंतरण का अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी, और आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा ऐसा करार का प्ररूप होगा जो प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(6) प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदक को, यदि वह समझता है कि आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, नामंजूर कर सकेगा ;

परन्तु आवेदन जब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा तब तक आवेदन को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर न दिया गया हो ।



18. बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए आवेदन करने से पूर्व पूर्वानुमोदन चाहने की प्रक्रिया.-

- (1) कोई व्यक्ति जो जैव सामग्री के संबंध में अनुसंधान के आधार पर भारत से अभिप्राप्त ज्ञान के आधार पर किसी पेटेंट या किसी अन्य बौद्धिक संपदा के लिए आवेदन करने का इच्छुक है वह प्ररूप 3 में आवेदन करेगा ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रूपए की फीस होगी ।
- (3) प्राधिकरण आवेदन का सम्यक् रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् और कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर उसकी प्राप्ति से यथासंभव शीघ्र तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन का विनिश्चय करेगा ।
- (4) यह समाधान हो जाने पर आवेदक ने सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा किया है, प्राधिकरण किसी पेटेंट या किसी अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए किए गए आवेदन का अनुमोदन ऐसे निबंधन और शर्तों पर जिसे वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुदत्त कर सकेगा ।
- (5) अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी या आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किसी लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा । करार के प्ररूप का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा ।
- (6) प्राधिकरण कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को मंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता । नामंजूरी आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

19. धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन तीसरे पक्षकार को अंतरण के लिए प्रक्रिया.-

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच के लिए अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, पहुंच प्राप्त जैव संसाधन या ज्ञान को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को अंतरण करने का आशय रखता है तो वह प्राधिकरण को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट या चेक के रूप में दस हजार रूपए की फीस लगी होगी ।
- (3) प्राधिकरण कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् उसके प्राप्त होने के यथाशक्य शीघ्र छः मास की अवधि के भीतर आवेदन करेगा ।
- (4) यदि समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है, प्राधिकरण अनुसंधान के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन है जिन्हें वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझता है, अनुदत्त कर सकेगा ।
- (5) अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी या आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उप नियम (4) के अधीन किसी लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा । करार के प्ररूप का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा ।
- (6) प्राधिकरण अभिलेख किए जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता, कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

## 20. साम्यपूर्ण फायदें प्रभाजन के लिए मानदंड (धारा 21)

- (1) प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मानदंड बना सकेगा और फायदे प्रभाजन सूत्र वर्णित कर सकेगा ।
- (2) मार्गदर्शक सिद्धांतों में मौद्रिक और अनुय फायदों जैसे स्वामिस्व संयुक्त उद्यम प्रौद्योगिकी अंतरण उत्पाद ; विकास शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने वाले क्रियाकलाप संस्थागत क्षमता निर्माण करने और वैचर पूंजी विधि का उपबंध करेंगे ।
- (3) फायदों प्रभाजन के लिए सूत्र का अवधारण मामले दर मामले आधार पर किया जाएगा ।
- (4) प्राधिकरण किसी व्यक्ति को पहुंच के लिए या अनुसंधान के परिणामों के अंतरण के लिए या पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए या पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और रहबद्ध ज्ञान का तीसरे पक्ष को अंतरण के लिए कोई अनुमोदन अनुदत्त करते समय पहुंच प्राप्त जैव सामग्री और सहबद्ध ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों का साम्यपूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करने के लिए निबंधन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा ।
- (5) फायदों की मात्रा ऐसे अनुमोदन करने वालों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों और प्राधिकरण के बीच आपसी करार से स्थानीय निकायों और फायदा दावेदारों के परामर्श से आपस में करार पाए जाएंगे और उनका विनिश्चय परिभाषित पहुंच मापदंडों, उपयोग के विस्तार, पोषणीय पहलू, प्रभाव और प्रत्याशित निष्कर्ष स्तर, जिसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय भी हैं, को सम्यक् ध्यान में किया जाएगा ।
- (6) प्राधिकरण के मामले के आधार पर लघु, मध्यम और दीर्घावधि फायदों के संबंध में फायदे प्रभाजन का निर्धारण करने के लिए समय सूची नियत करेगा ।
- (7) प्राधिकरण यह अनुध्यात करेगा कि फायदे जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करेंगे ।
- (8) जहां जैव संसाधनों या ज्ञान की पहुंच किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठन से है, अथवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकेगा कि करार पाए रकम का संदाय जिला प्रशासन के माध्यम से उन्हें सीधे ही किया गया है । जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को समूह या संगठनों की पहचान नहीं की जा सकती वहां मौद्रिक फायदे राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में निक्षेपित किए जाएंगे ।
- (9) यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड के लिए प्रशासनिक और सेवा प्रभारों के मध्य निर्धारित फायदों का पांच प्रतिशत अंकित किया जाएगा ।
- (10) प्राधिकरण उपनियम (4) में यथा अवधारित फायदे के प्रभार को उसके द्वारा अवधारित रीति में मानीटर करेगा ।

## 21. राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के लिए आवेदन .-

- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि का प्रचालन प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, किया जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के दो पृथक् लेखाशीर्ष होंगे एक केन्द्रीय सरकार से रसीदों के संबंध में और दूसरा प्राधिकरण की फीस, अनुज्ञप्ति फीस, स्वामिस्व और अन्य रसीदों से संबंधित होगा।

## 22. जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन यथा गठित जैव विविधता प्रबंध समिति एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट छः से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनमें से एक तिहाई से अन्यून महिलाएं और 18 प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।

(3) जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी अधिवेशन में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।

(4) जैव विविधता प्रबंध समिति में अध्यक्ष की कालावधि तीन वर्ष होगी।

(5) विधान सभा/ विधान परिषद् के स्थानीय सदस्य और संसद् सदस्य समिति के अधिवेशनों में विशेष आमंत्रित होंगे।

(6) जैव विविधता समिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से व्यक्तियों का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी।

(7) जैव विविधता प्रबंध समिति के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड या स्थानीय वैद्यों और व्यवसायियों को जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इस संबंध में आंकड़े रखने के बारे में अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी के संबंध में सलाह देना हैं।

(8) प्राधिकरण व्यक्तियों के जैव विविधता रजिस्टर और उसकी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने और इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए कदम उठाएगा।

(9) प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंध समितियों को व्यक्तियों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।

(10) जैव विविधता प्रबंध समितियों द्वारा व्यक्तियों के जैव विविधता रजिस्टर रखा जाएगा और विधिमान्य किए जाएंगे।

(11) समिति जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के प्रति पहुंच अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यारे और अभिप्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की रीति के ब्यारों के संबंध में जानकारी देने वाले रजिस्टर भी रखेगी।

## 23. धारा 50 के अधीन विवादों के निपटारे के लिए अपील-

(1) यदि प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच या एक बोर्ड और दूसरे बोर्डों के बीच किसी आदेश या निदेश या नीतिगत विनिश्चय के किसी मुद्दे के कार्यान्वयन के कारण कोई भी व्यथित

पक्षकार अर्थात् यथास्थिति प्राधिकरण या बोर्ड केन्द्रीय सरकार को धारा 50 के अधीन प्ररूप 5 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव को अपील कर सकेगा ।

(2) राज्य जैव विविधता बोर्ड और अन्य राज्य विविधता बोर्ड या बोर्डों के बीच विवाद उद्भूत होने की दशा में व्यथित बोर्ड या बोर्डों द्वारा विवाद के बिंदु या बिंदुओं को केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो उन्हें प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगा ।

(3) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, वे धारा जिनको अपीलार्थी ने अपील करने के लिए आश्रय लिया है और चाहा गया अनुतोष कथित होंगे ।

(4) अपील ज्ञापन के साथ आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय यथास्थिति उस आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की एक अधिप्रमाणित प्रति होगी जिसके द्वारा अपीलार्थी व्यथित है और जो अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होंगे ।

(5) अपील का ज्ञापन विवादित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर चार प्रतियों में या तो व्यक्तिगत रूप से रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से या सम्यक् रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपील करने में विलंब होने के लिए अच्छ और पर्याप्त कारण था तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह पूर्वगत तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किंतु यथास्थिति, विवादित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की तारीख से 45 दिन के अवसान से पूर्व अपील किया जाना अनुज्ञात कर सकेगी ।

(6) अपील की सुनवाई की सूचना प्ररूप 6 में सम्यक् रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से दी जाएगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार अपीलार्थी और पक्षकारों के पश्चात् अपील का निपटारा सुनवाई करेगी ।

(8) किसी अपील का निपटारा करते समय वह यथास्थिति विवादित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय को परिवर्तित, उपांतरित या रद्द कर सकेगा ।

(9) प्राधिकरण किसी विवादित का न्याय निर्णयन करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और यथासाध्य उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जिसको इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार से अपनाए जाने की अपेक्षा है ।

#### 24. धारा 61 के अधीन सूचना देने की रीति

(1) धारा 61 के खंड (ख) के अधीन सूचना देने की रीति निम्नानुसार होगा, अर्थात् :-

(i) सूचना लिखित में प्ररूप 7 में होगी ।

(ii) सूचना देने वाला व्यक्ति उसे,-

(क) यदि अभिकथित अपराध संघ राज्य क्षेत्र में हुआ है तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष

(ख) यदि अभिकथित अपराध राज्य में हुआ है तो राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष को

भेजेगा

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना सम्यक् रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी ; और

(3) धारा 61 के खंड (ख) में वर्णित तीस दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको उपनियम (1) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है ।

**प्ररूप 1**  
(नियम 14 देखिए)

**जैव विविधता संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के लिए आवेदन प्ररूप**

**भाग क**

- (i) विभाग की पूर्ण विशिष्टियां
- (ii) नाम :
- (iii) स्थायी पता :
- (iv) भारत में संपर्क व्यक्ति/ अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :
- (v) संगठन का विवरण (विभाग कोई व्यक्ति हैं तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)। कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें :
- (vi) कारबार की प्रकृति :
- (vii) संगठन का अमेरिकी डातलों में व्यावृत्त :
2. चाही गई पहुंच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुंच किए जाने वाले सहबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी ।
- (क) पहचान (वैज्ञानिक नाम) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान :
- (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलीय अवस्थिति :
- (ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन प्रकृति (मौखिक/ दस्तावेजित) :
- (घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यक्ति/ समुदाय :
- (ङ) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा (अनुसूची दें) :
- (च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है :
- (छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या :
- (ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किए जाने की संभावना भी है :

(झ) क्या संसाधनों के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुंच से उत्पन्न हो सकेगा :

3. किसी राष्ट्रीय संस्था के ब्यौरे जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी ।
4. पहुंच प्राप्त संसाधन का प्रारंभिक गंतव्य और उस अवस्थिति की पहचान, जहां अनुसंधान और विकास किया जाएगा ।
5. आर्थिक और अन्य फायदे, इसके अंतर्गत वे भी है, जो पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और ज्ञान से अभिप्राप्त किसी बौद्धिक संपदा अधिकार से प्राप्त हुए है या उस देश को जिसका/ जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा ।
6. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों या ज्ञान से अभिप्राप्त तकनीकी/ वैज्ञानिक, सामाजिक या कोई अन्य फायदे जो या उस आदेश को जिसका/ जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा ।
7. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के भारत/ समुदायों को प्रवहित होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन ।
8. फायदे प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं ।
9. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएं ।

भाग ख

घोषणा

मैं/ हम घोषणा करते हैं कि

- \* प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- \* प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- \* प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से प्रास्थितिक प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा ;
- \* प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि किसी असत्य/ गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा/ होंगे ।

हस्ताक्षरित

नाम

स्थान

शीर्षक

तारीख

**प्ररूप 2**  
(नियम 17 देखिए)

विदेशी राष्ट्रिकों, कंपनियों, अनिवासी भारतीयों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन चाहने के लिए आवेदन।

1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
  - (i) नाम
  - (ii) पता
  - (iii) वृत्तिक विवरण
  - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें) :
2. किए गए अनुसंधान के परिणामों के ब्यौरे
3. अनुसंधान में प्रयुक्त जैव अनुसंधान और/ या सहबद्ध ज्ञान के ब्यौरे
4. वह भौगोलीय अवस्थिति जहां अनुसंधान में प्रयुक्त जैव अनुसंधानों को संगृहीत किया जाता है।
5. अनुसंधान में प्रयुक्त पारंपरिक ज्ञान और किसी पहचान किए गए व्यक्ति/ समुदाय के ब्यौरे जो पारंपरिक ज्ञान धारित किए हुए है।
6. उस संस्था के ब्यौरे जहां अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप किए जाते हैं।
7. उस व्यक्ति/ संगठन के ब्यौरे जिसको अनुसंधान परिणाम अंतरित किए जाने का आशय है।
8. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक या किन्हीं फायदों के ब्यौरे जो अंतरित अनुसंधान परिणामों के वाणिज्यीकरण के कारण व्यक्ति/ संगठन को आशयित हैं या प्रोद्भूत होने है।
9. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित है या प्रोद्भूत हुए है।
10. प्रस्तावित प्राप्तकर्ता और अनुसंधान के परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक द्वारा किसी कशर या उनके बीच सद्भावना ज्ञापन के ब्यौरे।

**घोषणा**

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि किसी असत्य/ गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा/ होंगे।

हस्ताक्षरित

स्थान

नाम

तारीख

शीर्षक

## प्ररूप 3

(नियम 18 देखिए)

बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन चाहने के लिए आवेदन

1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
  - (i) नाम
  - (ii) पता
  - (iii) वृत्तिक विवरण
  - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें) :
2. उस अन्वेषण के ब्यौरे जिन पर बौद्धिक संपदा अधिकार चाहे गए है
3. अन्वेषण में प्रयुक्त जैव अनुसंधान और/ या सहबद्ध ज्ञान के ब्यौरे
4. वह भौगोलिक अवस्थिति जहां अन्वेषण में प्रयुक्त जैव अनुसंधान संगृहीत किए जाते हैं ।
5. अन्वेषण में प्रयुक्त किन्हीं पारंपरिक ज्ञान और किसी पहचान किए गए व्यक्ति/ समुदाय के ब्यौरे जो पारंपरिक ज्ञान धारण हुए हैं ।
6. उस संस्था के ब्यौरे जहां अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप किया जाता है ।
7. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित है या प्रोद्भूत हुए है ।

## घोषणा

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि किसी असत्य/ गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा/ होंगे ।

हस्ताक्षरित

नाम

शीर्षक

स्थान

तारीख



प्ररूप 4  
(नियम 19 देखिए)

पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के तीसरे पक्षकार को अंतरण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन चाहने के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
  - (i) नाम
  - (ii) पता
  - (iii) वृत्तिक विवरण
  - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें) :
2. पहुंच प्राप्त जैव सामग्री और पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे ।
3. किए गए पहुंच संविदा के ब्यौरे (प्रति संलग्न की जाएं) ।
4. पहले से कार्यान्वित फायदा प्रभाजन के लिए तंत्र/ व्यवस्थाएं के ब्यौरे ।
5. तीसरे पक्षकार की पूर्ण विशिष्टियां जिसको पहुंच प्राप्त सामग्री/ज्ञान अंतरण किए जाने का आशय है ।
6. आशयित तृतीय पक्षकार अंतरण का प्रयोजन ।
7. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित है या प्रोद्भूत हुए है ।
8. आवेदक और तृतीय पक्षकार के बीच किए जाने वाले करार के ब्यौरे ।
9. फायदों का प्राक्कलन जिनका पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के तीसरे पक्षकार को अंतरण के कारण भारत/ समुदाय में प्रवाह होगा ।
10. दस्तावेज तिथि पक्षकार अंतरण के कारण फायदा प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं ।

## 11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी

**घोषणा**

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि किसी असत्य/ गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा/ होंगे ।

हस्ताक्षरित

नाम

शीर्षक

स्थान

तारीख

**प्ररूप 5**

(नियम 23(1) देखिए)

अपील के ज्ञापन का प्ररूप

.....पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

या

जैव विविधता प्राधिकरण  
(यथास्थिति)

(राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 2002 की धारा 50 के अधीन अपील का ज्ञापन)

200..... की अपील सं.

-----  
-----

.....अपीलार्थी (अपीलार्थियों)

बनाम

-----  
-----

.....प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों)

(यथास्थिति यहां प्राधिकरण/ बोर्ड का पदाभिधान वर्णित करें)

अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर प्रत्यर्थी द्वारा पारित तारीख.....के आदेश के विरुद्ध यह अपील ज्ञापन करना चाहता है।

1. तथ्य :

(यहां मामले के संक्षेप में तथ्य वर्णित करें) :

2. आधार :

(वे आधार वर्णित करें जिन पर अपील वर्णित की गई है)

(i)

(ii)

(iii)

3. चाहा गया अनुतोष :

(i)

(ii)

(iii)

4. प्रार्थना :

(क) आवेदक जो ऊपर कथन किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सादर प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्यर्थी के आदेश/ विनिश्चय को अपखंडित/ अपास्त किया जाए।

(ख) प्रत्यर्थी द्वारा बना गई नीति/ मार्ग निर्देश/ विनियम.....सीमा तक अपखंडित/ उपांतरित/ शून्यकृत किए जाएं।

(ग) .....

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित  
पता

स्थान : .....

तारीख : .....

#### सत्यापन

मैं, आवेदक घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

.....दिन.....को सत्यापित।

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित  
पता

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नक : उस आदेश/ निदेश/ नीति विनिश्चय की अधिप्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

प्ररूप 6  
(नियम 23(5) देखिए)

पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के सामने

या

जैव विविधता प्राधिकरण  
(यथास्थिति)

200.... की अपील सं.

बीच :

-----  
-----

.....अपीलार्थी (अपीलार्थियों)

बनाम

-----  
-----

.....प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों)

सूचना

कृपया ध्यान दें कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील आदेश/ निदेश/ नीति विनिश्चय (ब्योरे दें) के विरुद्ध फाइल की गई है। सुनवाई की तारीख.....में नियत हुई है।

अपील ज्ञापन की प्रतियां और अपील के साथ फाइल किए गए अन्य उपाबंध आपके निर्देश के लिए भेजे जाते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त तारीख को या अपील की सुनवाई की अन्य प्रस्तावित तारीख को उपसंजात होने में असफल रहते हैं अपील का निपटारा अंतिम रूप से एक पक्षीय मानकर कर दिया जाएगा।

अपील प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (मुहर)

तारीख : .....

स्थान : .....

प्ररूप 7  
सूचना का प्ररूप  
(नियम 24(1) देखिए)

रजिस्ट्रीकृत डाक/ सम्यक् अभिस्वीकृति द्वारा

प्रेषक,

श्री-----  
-----  
-----

सेवा में,

-----  
-----  
-----

**विषय : जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61(ख) के अधीन सूचना**

-----द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है।

2. मैं/ हम जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61(ख) के अधीन -----के विरुद्ध जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के लिए फाइल में परिवाद फाइल करने अपने/ हमारे आशय की तीस दिन की सूचना देता हूँ/ देते हैं।

3. मेरे/ हमारे सूचना के स्थान में मैं/ हम सबूत के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजें संलग्न करते हैं।

स्थान : .....

तारीख : .....

हस्ताक्षर

स्पष्टीकरण :

- (1) किसी कंपनी के नाम से सूचना दिए जाने की दशा में कंपनी की ओर से सूचना को हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने का दस्तावेज साक्ष्य सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा।
- (2) अभिकथित अपराधी का नाम और पता दें। प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव संसाधन/ ज्ञान/ अनुसंधान/ जैव सर्वेक्षण और जैव पोषण/ बौद्धिक संपदा अधिकार/ पेटेंट का उपयोग किए जाने की दशा में उसके ब्यौरे और वाणिज्यिक उपयोग, यदि कोई हों, प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) अभिकथित उल्लंघन/ अपराध/ जांच को समर्थ बनाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत फोटो, तकनीकी रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं।

[ सं. जे-22018/57/2002-सीएससी (बीसी) ]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2004

**G.S.R. 261(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 62 of the Biological Diversity Act, 2002, and in supersession of the National Biodiversity Authority (salary, Allowances and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2003 except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules namely :—

**1. Short title and commencement**

- (1) These rules may be called the Biological Diversity Rules, 2004.
- (2) Thus shall come into force on 15<sup>th</sup> April, 2004.

**2. Definitions**

In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Biological Diversity Act 2002 ( 18 of 2003);
- (b) "Authority" means the National Biodiversity Authority established under sub- section (1) of Section 8,
- (c) "Biodiversity Management Committee" means a Biodiversity Management Committee established by a local body under sub-section (1) of Section 41;
- (d) "Chairperson" means the chairperson of the National Biodiversity Authority or as the case may be, of the State Biodiversity Board.
- (e) "fee" means any fee stipulated in the Schedule;
- (f) "Form" means form annexed to these rules;
- (g) "Member" means a member of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board and includes the chairperson as the case may be;
- (h) "section" means a section of the Act;
- (i) "Secretary" means the full time Secretary of the Authority.
- (j) words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

**3. Manner of selection and appointment of the Chairperson**

- (1) The Chairperson of the Authority shall be appointed by the Central Government.
- (2) Every appointment of Chairperson under sub-section (1) shall be made either on deputation basis or by selection from outside the Central Government. In case the appointment is through deputation, the applicant should not be below the rank of Additional Secretary to the Government of India.

**4. Term of Office of the Chairperson**

- (1) The Chairperson of the Authority shall hold the office for a term of three years' and shall be eligible for re-appointment,
- (2) Provided that no Chairperson shall hold office as such after he attains the age of sixty five years or his term of office expires which is earlier.
- (3) The Chairperson may resign from his office by giving at least one month notice in writing to the Central Government.

**5. Pay and Allowances of Chairperson :-**

- (1) A Chairperson shall be entitled to a fixed pay of Rs. 26,000/- per month. In case of retired person is appointed as Chairperson, his pay shall be fixed in accordance with the orders of the Central Government as applicable to such persons. .
- (2) A Chairperson shall be entitled to such allowances, leave, pension, provident fund, house and other perquisites etc. to be decided by the Central Government from time to time.

**6. Term of Office and Allowances of non-official Members. -**

- (1) Every non-official member of the Authority shall hold his office for a term not exceeding three years at a time from the date of publication of his appointment in the official Gazette.
- (2) Every non-official member attending the meeting of the Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official member of

commissions and committees of the Central Government attending the meeting (s) of such Commissions or Committees.

**7. Filling up of vacancies of non-official members**

- (1) A non-official member of the Authority may resign his office at any time by giving in writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of that member in the Authority shall become vacant.
- (2) A casual vacancy of a non-official member in the Authority shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he was nominated.

**8. Removal of the members of the Authority.**

No member of the Authority shall be removed from his office on any ground specified in section 11, without a due and proper enquiry by an officer not below the rank of a Secretary to the Government of India appointed by the Central Government and without giving such member a reasonable opportunity of being heard.

**9. Secretary of the Authority**

- (1) The Authority shall appoint a Secretary to it.
- (2) The terms and conditions of the appointment of the Secretary shall be determined by the Authority by regulation.
- (3) The Secretary shall be responsible for co-ordinating and convening the meetings of the Authority, maintenance of the records of the proceedings of the Authority and such other matters as may be assigned to him by the Authority.

**10. Meetings of the Authority**

- (1) The Authority shall meet at least four times in a year normally after a period of three months at the Head quarters of the Authority or at such place as may be decided by the Chairperson.
- (2) The Chairperson shall, upon a written request from not less than five Members of the Authority or upon a direction of the Central Government, call a special meeting of the Authority.
- (3) The members shall be given at least fifteen days' notice for holding an ordinary meeting and atleast three days' notice for holding a special



meeting specifying the purpose, the time and the place at which such meeting is to be held.

- (4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a presiding officer to be elected by the members present from amongst themselves.
- (5) The decision of the Authority at a meeting shall, if necessary, be taken by a simple majority of the Members present and voting and the Chairperson or in his absence, the Member presiding shall have a second or casting vote.
- (6) Each member shall have one vote.
- (7) The quorum at every meeting of the Authority shall be five.
- (8) No Member shall be entitled to bring forward for the consideration of a meeting any matter of which he has not given ten days' notice unless the Chairperson in his discretion permits him to do so.
- (9) Notice of the meeting may be given to the Members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or in such other manner as the Secretary of the Authority may, in the circumstances of the case, think fit.

**11. Appointment of Expert Committee by the Authority and their entitlements :-**

- (1) The Authority may constitute any number of Committees for such purposes as it may deem fit consisting wholly of members or wholly of other persons or partly of members or partly of other persons.
- (2) The members of the Committee other than the members of the Authority shall be paid such fees and allowances for attending the meetings as the Authority may deem fit.

**12. General functions of the Authority :-**

The Authority may perform the following functions; namely :-

- (i) lay down the procedure and guidelines to govern the activities provided under sections 3, 4 and 6 ;
- (ii) advise the Central Government on any matter concerning conservation of bio-diversity, sustainable use of its components and fair and

equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;

- (iii) coordinate the activities of the State Bio-diversity Boards;
- (iv) provide technical assistance and guidance to the State Bio-diversity Boards;
- (v) commission studies and sponsor investigations and research;
- (vi) engage consultants, for a specific period, not exceeding three years, for providing technical assistance to the Authority in the effective discharge of its functions:

Provided that if it is necessary and expedient to engage any consultant beyond the period of three years, the Authority shall seek prior approval of the Central Government for such an engagement.

- (vii) collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guides relating to conservation of bio-diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (viii) organise through mass media a comprehensive programme regarding conservation of bio-diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge.
- (ix) plan and organise training of personnel engaged or likely to be engaged in programmes for the conservation of bio-diversity and sustainable use of its components;
- (x) prepare the annual Budget of the Authority incorporating its own receipts as also the devaluation from the Central Government provided that the allocation by the Central Government shall be operated in accordance with the budget provisions approved by the Central Government;
- (xi) recommend creation of posts to the Central Government, for effective discharge of the functions by the Authority and to create such posts, provided that no such post whether permanent/ temporary or of any nature, would be created without prior approval of the Central Government;

- (xii) approve the method of recruitment to the officers and servants of the Authority;
- (xiii) take steps to build up data base and to create information and documentation system for biological resources and associated traditional knowledge through bio-diversity registers and electronics data bases, to ensure effective management, promotion and sustainable uses;
- (xiv) give directions to State Bio-diversity Boards and the Bio-diversity Management Committees in writing for effective implementation of the Act ;
- (xv) report to the Central Government about the functioning of the Authority and implementation of the Act ;
- (xvi) recommend, modify, collection of benefit sharing fee under sub section (1) of Section 6 or Changes of royalties under sub-section (2) of section 19 in respect of biological resources from time to time ;
- (xvii) sanction grants-in-aid and grants to the State Bio-diversity Board and Bio-diversity Management Committees for specific purposes;
- (xviii) undertake physical inspection of any area in connection with the implementation of the Act ;
- (xix) take necessary measures including appointment of legal experts to oppose grant of intellectual property right in any country outside India on any biological resource and associated knowledge obtained from India in an illegal manner;
- (xx) do such other functions as may be assigned or directed by the Central Government from time to time.

### **13. Powers and duties of Chairperson**

- (1) The Chairperson shall have the overall control of the day- to -day activities of the Authority.
- (2) Subject to the provisions of Section 10, the Chairperson shall have the powers of general superintendence over the officers and staff of the Authority and he may issue necessary directions for the conduct and management of the affairs of the Authority.
- (3) The Chairperson shall be In charge of all the confidential papers and records of the Authority and shall be responsible for their safe custody.

- (4) All orders and instructions to be issued by the Authority shall be under the signature of the Chairperson or of any other officer authorized by the Chairperson in this behalf.
- (5) The Chairperson, either himself or through an officer of the authority authorized for the purpose, may sanction and disburse all payments against the approved budget.
- (6) The Chairperson shall have full powers for granting administrative and technical sanction to all estimates.
- (7) The Chairperson shall convene and preside over all the meetings of the Authority and shall ensure that all decisions taken by the Authority are implemented in proper manner.
- (8) The Chairperson shall exercise such other powers and perform such other functions as may be delegated to him from time to time by the Authority or the Central Government.

**14. Procedure for access to biological resources and associated traditional knowledge**

- (1) Any person seeking approval of the Authority for access to biological resources and associated knowledge for research or for commercial utilization shall make an application in Form I.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees in the form of a cheque or demand draft drawn in favour of the Authority.
- (3) The Authority shall after consultation with the concerned local bodies and collecting such additional information from the applicant and other sources, as it may deem necessary, dispose of the application, as far as possible, within a period of six months from the date of its receipts.
- (4) On being satisfied with the merit of the application, the Authority may grant the approval for access to biological resources and associated knowledge subject to such term and conditions as it may deem fit to impose.
- (5) The approval to access shall be in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant.
- (6) The form of the agreement referred to in sub-rule (5) shall be laid down by the Authority and shall include the following ; namely :-

- (i) general objectives and purpose of the application for seeking approval ;
  - (ii) description of the biological resources and traditional knowledge including accompanying information;
  - (iii) intended uses of the biological resources (research, breeding, commercial utilization etc.)
  - (iv) conditions under which the applicant may seek intellectual property rights;
  - (v) quantum of monetary and other incidental benefits. If need be, a commitment to enter into a fresh agreement particularly in case if the biological material is taken for research purposes and later on sought to be used for commercial purposes, and also in case of any other change in use thereof subsequently.
  - (vi) restriction to transfer the accessed biological resources and the traditional knowledge to any third party without prior approval of Authority;
  - (vii) to adhere to a limit set by the Authority on the quantity and specification of the quality of the biological resources for which the applicant is seeking access;
  - (viii) guarantee to deposit a reference sample of the biological material sought to be accessed with the repositories identified in Section 39;
  - (ix) submitting to the Authority a regular status report of research and other developments;
  - (x) commitment to abide with the provisions of Act and rules and other related legislations in force in the country ;
  - (xi) commitment to facilitate measures for conservation and sustainable use of biological resources accessed ;
  - (xii) commitment to minimize environmental impacts of collecting activities ;
  - (xiii) legal provisions such as duration of the agreement, notice to terminate the agreement, independent enforceability of individual clauses, provision to the extent that obligations in benefit sharing clauses survive the termination of the agreement, events limiting liability (natural calamities), arbitration, any confidentiality clause.
- (7) The conditions for access may specifically provide measures for conservation and protection of biological resources to which the access is being granted.
- (8) The Authority may for reasons to be recorded in writing reject an application if it considers that the request cannot be acceded to.
- (9) No application shall be rejected unless the applicant is given a reasonable opportunity of being heard.

- (10) The Authority shall take steps to widely publicize the approvals granted, through print or electronic media and shall periodically monitor compliance of conditions on which the approval was accorded.

**15. Revocation of access or approval . -**

- (1) The Authority may either on the basis of any complaint or *suo moto* withdraw the approval granted for access under rule 15 and revoke the written agreement under the following conditions ; namely:-

- (i) on the basis of reasonable belief that the person to whom the approval was granted has violated any of the provisions of the Act or the condition on which the approval was granted ;
- (ii) when the person who has been granted approval has failed to comply with the terms of the agreement ;
- (iii) on failure to comply with any of the conditions of access granted;
- (iv) on account of overriding public interest or for protection of environment and conservation of biological diversity;

- (2) The Authority shall send a copy of every order of revocation issued by it to the concerned State Biodiversity Board and the Biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.

**16. Restriction on activities related to access to biological resources. -**

- (1) The Authority if it deems necessary and appropriate shall take the steps to restrict or prohibit the request for access to biological resources for the following reasons ; namely :-

- (i) the request for access is for any endangered taxa ;
- (ii) the request for access is for any endemic and rare species;
- (iii) the request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods of the local people;
- (iv) the request to access may result in adverse environmental impact which may be difficult to control and mitigate;
- (v) the request for access may cause genetic erosion or affecting the ecosystem function;
- (vi) use of resources for purposes contrary to national interest and other related international agreements entered into by India.

**17. Procedure for seeking approval for transferring results of research.-**

- (1) Any person desirous of transferring results of research relating to biological resources obtained from India for monetary consideration to foreign nationals, companies and Non Resident Indians (NRIs), shall make an application to the Authority in the Form II.
- (2) Every application under sub-rule (i) shall be accompanied by a fee of five thousand rupees in the form of a Bank draft or Cheque drawn in favour of the Authority.
- (3) Every application under sub-rule (i) shall be decided upon by the Authority, as far as possible within a period of three months from the receipt of the same.
- (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled all the requirements, the Authority may grant the approval for transferring the results of research subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose in each case.
- (5) The approval for transfer shall be granted in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant. The form of the agreement shall be such as may be decided by the Authority.
- (6) The Authority may for reasons to be recorded in writing reject an application if it considers that the application cannot be allowed; Provided that the application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

**18. Procedure for seeking prior approval before applying for intellectual property protection. -**

- (1) Any person desirous of applying for a patent or any other intellectual property based on research on biological material and knowledge obtained from India shall make an application in Form III.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by paying a fee of five hundred rupees.
- (3) The Authority after due appraisal of the application and after collecting any additional information, on the basis of merit shall decide on the application, as far as possible within a period of three months of receipt of the same.

- (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled all the necessary requirements, the Authority may grant approval for applying for a patent or any other IPR subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose in each case.
- (5) The approval shall be granted in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant. The form of the agreement may be decided by the Authority.
- (6) The Authority may reject the application if it considers that the request cannot be acceded to after recording the reasons. Before passing order of rejection, the applicant shall be given an opportunity of hearing.

**19. Procedure for third party transfer under sub-section (2) of Section 20.-**

- (1) The persons who have been granted approval for access to biological resources and associated knowledge, intend to transfer the accessed biological resource or knowledge to any other person or organization shall make an application to the Authority in Form IV.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees in the form of Bank draft or cheque drawn in favour of the Authority.
- (3) The Authority shall after collecting any additional information, decide upon the application as far as possible within a period of six months of receipt of the same.
- (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled all the necessary requirements, the Authority may grant approval for third party transfer subject to such terms and conditions it may deem fit to impose in each case.
- (5) The approval as may be granted under sub-rule (4) in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant. The form of the agreement shall be such as may be decided by the Authority.
- (6) The Authority may for reasons to be recorded in writing reject the application if it considers that the request cannot be acceded to provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.



**20. Criteria for equitable benefit sharing (Section 21)**

- (1) The Authority shall by notification in the Official Gazette formulate the guidelines and describe the benefit sharing formula.
- (2) The guidelines shall provide for monetary and other benefits such as royalty; joint ventures; technology transfer; product development; education and awareness raising activities; institutional capacity building and venture capital fund.
- (3) The formula for benefit sharing shall be determined on a case-by case basis.
- (4) The Authority while granting approval to any person for access or for transfer of results of research or applying for patent and IPR or for third party transfer of the accessed biological resource and associated knowledge may impose terms and conditions for ensuring equitable sharing of the benefits arising out of the use of accessed biological material and associated knowledge.
- (5) The quantum of benefits shall be mutually agreed upon between the persons applying for such approval and the Authority in consultation with the local bodies and benefit claimers and may be decided in due regard to the defined parameters of access, the extent of use, the sustainability aspect, impact and expected outcome levels, including measures ensuring conservation and sustainable use of biological diversity.
- (6) Depending upon each case, the Authority shall stipulate the time frame for assessing benefit sharing on short, medium, and long term benefits.
- (7) The Authority shall stipulate that benefits shall ensure conservation and sustainable use of biological diversity.
- (8) Where biological resources or knowledge is accessed from a specific individual or a group of individuals or organizations, the Authority may take steps to ensure that the agreed amount is paid directly to them through the district administration. Where such individuals or group of individuals or organizations cannot be identified, the monetary benefits shall be deposited in the National Biodiversity Fund.
- (9) Five percent of the assessed benefits shall be earmarked for the Authority or Board as the case may be, towards administrative and service charges.

(10) The Authority shall monitor the flow of benefits as determined under sub rule (4) in a manner determined by it.

## **21. Application of National Biodiversity Fund . -**

- (1) The National Biodiversity Fund shall be operated by the Chairperson or by such other officer of the Authority as may be authorized in this regard
- (2) The National Biodiversity Fund shall have two separate heads of accounts, one relating to the receipts from the Central Government and the other concerning the fee, licence fee, royalty and other receipts of the Authority.

## **22. Constitution of Biodiversity Management Committees**

- (1) Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee (BMCs) within its area of jurisdiction.
- (2) The Biodiversity Management Committee as constituted under sub-rule (1) shall consist of a Chairperson and not more than six persons nominated by the local body, of whom not less than one third should be women and not less than 18% should belong to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
- (3) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst the members of the committee in a meeting to be chaired by the Chairperson of the local body. The Chairperson of the local body shall have the casting votes in case of a tie .
- (4) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall have a tenure of three years.
- (5) The local Member of Legislative Assembly/ Member of Legislative Council and Member of Parliament would be special invitees to the meetings of the Committee.
- (6) The main function of the BMC is to prepare People's Biodiversity Register in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them.
- (7) The other functions of the BMC are to advise on any matter referred to it by the State Biodiversity Board or Authority for granting approval, to

maintain data about the local voids and practitioners using the biological resources.

- (8) The Authority shall take steps to specify the form of the People's Biodiversity Registers, and the particulars it shall contain and the format for electronic database.
- (9) The Authority and the State Biodiversity Boards shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers.
- (10) The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Biodiversity Management Committees.
- (11) The Committee shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing.

**23. Appeal for settlement of disputes under Section 50. -**

- (1) If a dispute arises between the Authority or a State Biodiversity Board or between one Board and other Board(s) on account of implementation of any order or direction or on any issue of policy decision, either of the aggrieved parties i.e. , Authority or the Board, as the case may be, prefer an appeal to the Central Government under section 50, in Form V to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India
- (2) In case the dispute arises between a State Biodiversity Board and another state Biodiversity Board or Boards, the aggrieved Board or Boards, shall prefer the point or points of dispute to the Central Government which shall refer the same to the Authority.
- (3) The memorandum of appeal shall state the facts of the case, the grounds relied upon by the appellant, for preferring the appeal and the relief sought for.
- (4) The memorandum of appeal shall be accompanied by an authenticated copy of the order, direction or policy decision, as the case may be, by which the appellant is aggrieved and shall be duly signed by the authorised representative of the appellant.
- (5) The memorandum of appeal shall be submitted in quadruplicate, either in person or through a registered post with Acknowledgement due, within 30 days from the date of the orders, direction or policy decision, impunged provided that if the Central Government is satisfied that there was good

and sufficient reason for the delay in preferring the appeal, it may, for reason to be recorded in writing, allow the appeal to be preferred after the expiry of the aforesaid period of 30 days but before the expiry of 45 days from the date of the orders impugned, direction or policy decision, as the case may be.

- (6) The notice for hearing of the appeal shall be given in Form VI by a registered post with an acknowledgement due.
- (7) The Central Government shall, after hearing the appellant and the other parties, dispose of the appeal.
- (8) In disposing of an appeal it may vary or modify or cancel impugned order, direction or policy, as the case may be.
- (9) In adjudicating a dispute, the Authority shall be guided by the principles of natural justice and as far as practicable, follow the same procedure which the Central Government is required to follow under this rule.

#### **24. Manner of giving notice under Section Section 61**

- (1) The manner of giving notice, under clause (b) of section 61, shall be as follows namely:-
  - (i) The notice shall be in writing in Form VII.
  - (ii) The person giving the notice may send it to , -
    - (a) If the alleged offence has taken place in a Union territory, to the Chairperson of the National Bio-diversity Authority; and
    - (b) If the alleged offence has taken place in a State, to the Chairperson of the State Bio-diversity Board
- (2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be sent by registered post acknowledgement due; and
- (3) The period of thirty days mentioned in clause (b) of section 61 shall be reckoned from the date, the notice is received by the Authorities mentioned in sub-rule (1).

**Schedule****FORM I**  
**(see rule 14)****Application form for access to Biological resources and associated traditional knowledge****Part A**

- (i) Full particulars of the applicant
  - (ii) Name:
  - (iii) Permanent address:
  - (iv) Address of the contact person / agent, if any, in India:
  - (v) Profile of the organization (personal profile in case the applicant is an individual). Please attach relevant documents of authentication):
  - (vi) Nature of business:
  - (vii) Turnover of the organization in US\$:
2. Details and specific information about nature of access sought and biological material and associated knowledge to be accessed
- a) Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use:
  - b) Geographical location of proposed collection:
  - c) Description / nature of traditional knowledge ( oral / documented):
  - d) Any identified individual / community holding the traditional knowledge:
  - e) Quantity of biological resources to be collected (give the schedule):
  - f) Time span in which the biological resources is proposed to be collected:
  - g) Name and number of person authorized by the company for making the selection:
  - h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:
  - i) Whether any collection of the resource endangers any component of biological diversity and the risks which may arise from the access:
3. Details of any national institution which will participate in the Research and Development activities.

4. Primary destination of accessed resource and identity of the location where the R&D will be carried out.
5. The economic and other benefits including those arising out of any IPR, patent obtained out of accessed biological resources and knowledge that are intended, or may accrue to the applicant or to the country that he/she belongs
6. The biotechnological, scientific, social or any other benefits obtained out of accessed biological resources and knowledge that are intended, or may accrue to the applicant or to the country that he/she belongs
7. Estimation of benefits, that would flow to India/ communities arising out of the use of accessed bioresources and traditional knowledge
8. Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing.
9. Any other information considered relevant.

### **Part B Declaration**

I/ we declare that:

- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources;
- Collection of proposed biological resources shall not entail any environmental impact;
- Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems;
- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities;

I/we further declare the Information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information.

Signed  
Name  
Title

Place  
Date

• **FORM II**  
(see Rule 17)

**Application for seeking prior approval of National Biodiversity Authority for transferring the results of research to foreign nationals, companies, NRI's, for commercial purposes.**

1. Full particulars of the applicant
  - i) Name
  - ii) Address:
  - iii) Professional profile
  - iv) Organizational affiliation (Please attach relevant documents of authentication):
2. Details of the results of research conducted
3. Details of the Biological resources and /or associated knowledge used in the research.
4. Geo-graphical location from where the biological resources used in the research are collected
5. Details of any traditional knowledge used in the research and any identified individual /community holding the traditional knowledge
6. Details of institution where R&D activities carried out.
7. Details of the individual / organization to whom the research results are intend to transfer.
8. Details of economic, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the individual /organization due to commercialization of transferred research results.
9. Details of economic, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the applicant seeking approval for transfer of results of research.
10. Details of any agreement or MOU between by the proposed recipient and applicant seeking approval for transfer of results of research.

**Declaration**

I/we declare the Information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information.

Signed  
Name  
Title

Place  
Date

**FORM III**  
(See rule 18)**Application for seeking prior approval of National Biodiversity Authority for applying for Intellectual Property Right**

1. Full particulars of the applicant
  - i) Name
  - ii) Address:
  - iii) Professional profile
  - iv) Organizational affiliation (Please attach relevant documents of authentication):
2. Details of the invention on which IPRs sought
3. Details of the Biological resources and /or associated knowledge used in the invention.
4. Geo-graphical location from where the biological resources used in the invention are collected
5. Details of any traditional knowledge used in the in the invention and any identified individual /community holding the traditional knowledge
6. Details of institution where Research and Development activities carried out.
7. Details of economic, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the applicant due commercialization of the invention.

**Declaration**

I/we declare the Information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information.

Signed  
Name  
Title

Place  
Date



**FORM IV**  
(See rule 19)

**Application form for seeking approval of National Biodiversity Authority for third party transfer of the accessed Biological resources and associated traditional knowledge.**

1. Full particulars of the applicant
  - (i) Name
  - (ii) Address:
  - (iii) Professional profile
  - (iv) Organizational affiliation (Please attach relevant documents of authentication):
2. Details of the biological material and traditional knowledge accessed.
3. Details of the access contract entered (Copy to be enclosed)
4. Details of the benefits and mechanism / arrangements for benefit sharing already implemented.
5. Full particulars of the third part to whom the accessed material / knowledge is intended to transfer.
6. The purpose of the intended third party transfer.
7. Details of economic, social, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the third party due to transfer of accessed biological material and knowledge.
8. Details of any agreement to be entered between the applicant and the third party.
9. Estimation of benefits that would flow to India/ communities arising out of the third party transfer of accessed biological resources and traditional knowledge
10. Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing arising out of the proposed third party transfer.
11. Any other relevant information

**Declaration**

I/we declare the information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information.

Signed  
Name  
Title

Place  
Date

1244AI/04-6

**FORM V**  
(See rule-23(1))

**Form of Memorandum of Appeal**

**BEFORE THE \_\_\_\_\_ MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS, NEW DELHI**

**OR**

**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY**  
(as the case may be)

(Memorandum of appeal under Section 50 of the Biological Diversity Act, 2002.)

**Appeal No. \_\_\_\_\_ of 200**

\_\_\_\_\_

.....Appellant (s)

Vs.

\_\_\_\_\_

.....Respondent(s)

(here mention the designation of the Authority/  
Board, as the case may be )

The appellant begs to prefer this Memorandum of Appeal against the order dated \_\_\_\_\_ passed by the Respondent on the following facts and grounds.

**1. FACTS:**

(Here briefly mention the facts of the case):

**2. GROUND:**

(Here mention the grounds on which the appeal is made) :

- i.)
- ii.)
- iii.)

**3. RELIEF SOUGHT:**

- i)
- ii)
- iii)

**4. PRAYER:**

- a) In the light of what is stated above, the appellant respectfully prays that the order/decision of the respondent be quashed/set-aside .
- b) The policy/guidelines/regulation framed by the Respondent be quashed /modified/annulled to the extent \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Dated: \_\_\_\_\_

Signature of the appellant  
with Seal

Address:

**VERIFICATION**

I, the appellant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief .

Verified on \_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_.

Signature of the appellant  
With Seal  
Address

Signature of the Authorised representative of the appellant

Enclosures: 1. Authenticated copy of the order/direction/policy decision, against which the appeal has been preferred.

FORM VI  
(See rule 28)

BEFORE THE \_\_\_\_\_ MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS,  
NEW DELHI

OR

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY  
(as the case may be)

Appeal No. \_\_\_\_\_ of 200

Between :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ... Appellant(s)

Vs.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ... Respondents(s)

NOTICE

Please take notice that the above appeal filed by the appellant, against the order/direction/policy decision (give details) is fixed for hearing on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_.

The copies of the appeal memorandum and other annexure filed alongwith the appeal are sent herewith for your reference.

Please note that if you fails to appear on the said date or other subsequent date of hearing of the appeal, the appeal would be disposed of finally by placing you ex-parte.

Authorised signatory on behalf of the Appellate Authority (Seal)

Date: \_\_\_\_\_

Place : \_\_\_\_\_

**FORM VII****FORM OF NOTICE**

(See rule 24 (1))

By Registered Post/Acknowledgement due

**From,**

Shri \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**To,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Sub: NOTICE UNDER SECTION 61(b) OF THE BIOLOGICAL DIVERSITY ACT, 2002.**

Whereas an offence under the Biological Diversity Act, 2002 has  
been \_\_\_\_\_ committed/is \_\_\_\_\_ being \_\_\_\_\_ committed  
by \_\_\_\_\_

2. I/we hereby give notice of 30 days under Section 61(b) of the Biological Diversity Act, 2002 of my /our intention to file a complaint in the Court against \_\_\_\_\_ for violation of the provisions of the Biological Diversity Act, 2002.
3. In support of my/our notice , I am/we are enclosing herewith the following documents as evidence of proof.

Place: \_\_\_\_\_

Dated: \_\_\_\_\_

Signature

**EXPLANATION:**

- (1) In case the notice to be given in the name of a company, documentary evidence authorising the person to sign the notice on behalf of the company shall be enclosed to the notice.
- (2) Give the name and address of the alleged offender. In case of using biological resource/ knowledge/research/bio-survey and bio utilisation /the intellectual property right /patent , without the approval of the Authority, the details thereof and the commercial utilisation if any, may be furnished.
- (3) Documentary evidence shall include photograph, technical report etc. for enabling enquiry into the alleged violation/offence.

[No. J-22018/57/2002-CSC (BC)]  
DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.